Page- 24

संशोधित नियमावली

1- संस्था का नाम : श्रीपाल सिंह एजूकेशन समिति

2- संस्था का पता : ग्राम हुसैनापुर ककराई पो0 कुरिया कलां जिलाशाहजहांपुर,

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरप्रदेश,

4- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:-

कोई भी बालिग व्यक्ति जो कार्यक्रमों से सहमत हो संस्थाके उद्देश्यों में आस्था रखता हो संस्थाका सदस्य बन सकेगा जो व्यक्ति जिस वर्ग काशुल्क देगा वह उसी वर्ग का सदस्य बन सकेगा। सदस्यता निम्नवत होगी।

(क) आजीवन सदस्य

(ख) साधारणसदस्य

(ग) विशिष्ठ सदस्य

आजीवन सदस्य- इस संस्थाको मुबलिग 1001/-रुपया एक बार में नकद या इसके समक्ष चल अचल सम्पत्ति प्रदान करके कोई व्यक्ति इस संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा।

साधारण सदस्य- संस्था को मात्र 50/-रुपया वार्षिक अथवा 5रुपये प्रतिमाह सदस्यताशुल्क देने वाले सज्जन इससंस्थाके साधारण सदस्य कहलायेगें।

विशिष्ठसदस्य- संस्था को 500/-रुपया एक मुश्त नकद या इसके समक्ष चल अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति पाँच साल के लिए विशिष्ठ सदस्य कहलायेगे।

5- सदस्यता की समाप्ति- निम्नांकित परिस्थितियों मे सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(1) किसीकारण से सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

(2) किसीसदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।

(3) किसी सदस्य को किसीन्यायालय द्वारा अनैतिक अपराधों मे लिप्त होने पर दन्डित किया जाने पर।

(4) संस्थाके नियमों काउल्लंघन करने पर।

Sri Pal Singh Education Samiti
Chairman

निर्देशक
श्री सत्यपाल सिंह आयुर्वेदिक कालेज एवं ...
मिर्जापुर-शाहजहाँपुर (उ0 प्र0)

§5§ लगातार तीन बैठको मे बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

§6§ किसीसदस्य का त्यागपत्र आने व उसके स्वीकार हो जाने पर।

§7§ संस्था को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने पर ।

§8§ किसीसदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

6- संस्थाके अंग - संस्था के निम्नांकित दो प्रकारके अंग होंगे।

§क§ साधारणसभा

§ख§ प्रबन्धकारिणी समिति,

7- साधारणसभा का गठन, बैठक, कोरम, सूचना अवधि आदि-

गठन- संस्था की साधारण सभा का गठन समस्त प्रकारके सदस्यो को मिलाकर होगा इन समस्त सदस्यो को अपनागत प्रयोग करने का अधिकार होगा।

बैठके- साधारण सभा की सामान्यबैठक एक साल मे कम से कम दो बार होगी तथाआवश्यक बैठक का आयोजन समयानुसार किसी भी समय हो सकेगा।

बैठको की सूचना अवधि- सभी सदस्यों को साधारणसभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 8 दिन पहले दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पहले दीजायेगी यह सूचना व्यक्तिगत अथवा डाक माध्यम से एजेन्डा के द्वारा दी जायेगी।

बैठको कीगणपूर्ति- कुल सदस्यो की संख्याके 2/3 बहुमत से सदस्यो की उपस्थिति बैठक मे होने परइसकी बैठको का कोरमपूर्ण होगा इस प्रकार बैठको का कोरम 2/3 होगा कोरम की प्रतीक्षा निश्चित समय के आधा घंटा बाद तक की जायेगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि- संस्थाका विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर हर साल के अन्तिम सप्ताह मे होगा इसमे सालाना बजट पर विचार होगा इसकी सूचना सदस्यों को एक माह पूर्व दी जायेगी।

Chairman
Sri Pal Singh Education Samiti

साधारण सभाके कर्तव्य अधिकार :-

§1§ समिति के अगले साल के बजट का अनुमोदन करना।

§2§ संस्था की व्यवस्था मे सहयोग प्रदान करना।

§3§ संस्था सम्बन्धी किये जाने वाले कार्यकलापो पर विचार करना तथा उनकीस्वीकृति देना।

निदेशक

§4§ संस्था कीचल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था आदि करना।

8- प्रबन्धकारिणी समिति गठनबैठक कोरम सूचना अवधिआदि-

गठन- साधारणसभाके सदस्यो द्वारा अपने सदस्यो मे से प्रबन्धसमिति का गठन किया जायेगा जिसमे सदस्यो की संख्या पदाधिकारियो सहित न्यूनतम सात व अधिकतम 25 हो सकेगी कोई भी पदाधिकारी पुनः भीचुना जा सकेगा। इसमे चीन पदेनसदस्य /प्रधानाचार्य का पद भी होगा।

बैठके- प्रबन्धसमिति की सामान्यबैठक एकसाल मे चार बार होगी तथा आवश्यकता होने पर कभी भीविशेष बैठक का आयोजनहो सकेगा।

सूचना-सामान्यबैठक की सूचना अवधि 3 दिन पहले व विशेष बैठक की सूचना अवधि24 घन्टे पूर्व रहेगी सूचना एजेन्डा से डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यमसे दी जायेगी।

गणपूर्ति- 2/3 बहुमत से सदस्यो की उपस्थिति हो जाने पर बैठकों का कोरमपूर्ण होगा इस प्रकारकोरम 2/3 होगाकोरम की प्रतीक्षा निश्चित समय से आधा घन्टा बाद तक की जायेगी।

रिक्त स्थानो की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति मे यदि किसी सदस्य या पदाधिकारी का कोई स्थान रिक्त होगा तो रिक्त होने वाले स्थानो की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यो द्वारा2/3 बहुमत से अपने सदस्यो मे शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:-

1- संस्थाके विकास के कार्यक्रमो को तैयार करना तथा साधारण सभा की स्वीकृति से क्रियान्वित करना।

2- संस्था की रोकड तथाकीमती दस्तावेजो कीजाँच करना।

3- संस्थाकी धनराशि परनियंत्रण रखना।

4- वार्षिक बजट व प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना।

Chairman
Pal Singh Education Samiti

कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी।

निदेशक
श्री ... सिंह आयुर्वेदिक कालेज एवं ...

Page - 20
97

§ 4 §

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष §1§ संस्था की देखभाल करना व मार्गदर्शनकरना।

§2§ संस्थाकी समस्त बैठको कीअध्यक्षता करना।

§3§ आपातकालीन स्थिति मे आवश्यक बैठक बुलाना ।

§4§ समानमत होने पर एक अलग मत देने का अधिकार होगा ।

§5§ संस्थाके हित मे 500/-रुपये तक व्यय करने की स्वीकृति देना ।

उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके कर्तव्यो का निर्वाह करना।

प्रबंधक §1§ समस्त पत्र व्यवहारकरना व उसका रिकार्ड सुरक्षित रखना।

§2§ साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठको कीकार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर मे नियमित रूपसे लिखना।

§3§ समस्त सहायताके तौर पर प्राप्त होने वाला दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना व उसका हिसाब रखना।

§4§ आवश्यकता होने पर संस्थाके कर्मचारियो की नियुक्ति पदोन्नति आदि करना।

§5§ बैठको का ऐजेन्डा जारी करना।

§6§ संस्थाका मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा।

§7§ संस्था की ओर से जाने वाले प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करना।

§8§ वार्षिक प्रतिवेदनतैयार करना।

उपप्रबन्धक- प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे उसके कार्यो को पूरा करना।

Chairman
Sri Pal Singh Education Samiti

कोषाध्यक्ष §1§ प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार धन व्यय करना।

§2§ संस्थाके बिलो का भुगतान सम्बन्धित पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने पर करना।

§3§ आय व्यय का सम्पूर्ण एवं विधिवत लेखा जोखा रखना।

10-संस्थाके नियमो विनियमो मे संशोधन प्रक्रिया- साधारणसभा की विशेष बैठक मे 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संस्था के नियमो मे संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया होगी तथा उद्देश्यो मे परिवर्तन के लिये सर्वप्रथम प्रबंधसमिति तदुपरान्त साधारणसभा ...

श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक कालेज ...
मिर्जापुर-शाहजहाँपुर (उ0 प्र0)

॥ 5 ॥

11- संस्था का कोष- संस्थाके नाम से कोष मान्यता प्राप्त बैंक एवं पो0 आफिसमे खोलाजायेगा, जिसमे समस्त धनराशि जमा की जायेगी इस खाते से धन निकालने के लिये प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा।

12- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण(आडिट) :- प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकता अनुसार कभी भीसंस्थाके आय व्ययकी जाँच आडिटर से करायीजायेगी और जाँच आख्या प्रबन्धकारिणी समिति मे प्रस्तुत की जायेगीऔरइसकी वार्षिक बैलेन्सशीटतैयार की जायेगी

13- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहीके संचालन का उत्तरदायित्व:- यदि संस्था कोई वाद दायर करतीहै अथवा संस्थाके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय मे आताहै तो इसकी पैरवी संस्थाके प्रबन्धक द्वारा कीजायेगी।

14- संस्थाके अभिलेख- संस्थाके निम्नांकित अभिलेख होगे। अभिलेखो की तैयारी हिन्दी देवनागरी लिपि मे होगी।

(1) सदस्यता पंजिका
(2) कार्यवाही पंजिका,
(3) स्टाक पंजिका,
(4) कैश बुक आदि

Chairman
Sri Pal Singh Education Samiti

15- संस्थाके विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण कीकार्यवाही:- उन परिस्थितियो मे जबकि संस्था विघटित हो जायेगी अथवा संस्था का विघटन हो जायेगातो इसकी चल अचल सम्पत्ति के निस्तारण कीकार्यवाही सोसा0रजि0ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

निदेशक
श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय
मिर्जापुर-शाहजहाँपुर (उ0 प्र0)

Page - 7

<u>श्री पाल सिंह एजुकेशन समिति, ग्राम मुहीनापुर ककराई पो० कुरिया कला</u>
<u>जिला शाहजहाँपुर</u>
<u>साधारण सभा की सदस्यता शुल्क सूची वर्ष 2017-2018</u>

क्र०सं०	नाम /पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	श्रेणी	शुल्क
1.	श्री सिवराम सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	50/
2.	लक्ष्मी सिंह पत्नी श्री कमलेश कुमार यादव	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	गृहणी	सा०सदस्य	50/
3.	श्री सन्तन पाल सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	50/
4.	श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री राम सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	50/
5.	श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री सन्तनपाल सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	गृहणी	सा०सदस्य	50/
6.	श्री राम प्रकाश सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	50/
7.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री श्रीपाल सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	5[illegible]
8.	बादल सिंह पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह	ग्राम ढका पो० म्याऊ बदायूं	कृषि	सा०सदस्य	5[illegible]
9.	रामवीर सिंह पुत्र श्री राधेश्याम यादव	ग्राम व पो० शाहबाद हरदोई	कृषि	सा०सदस्य	
10.	ध्यानपाल सिंह पुत्र श्री बाबू राम यादव	ग्राम दारानगर पो० कलान शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	
11.	शेर सिंह पुत्र श्री दोदराम सिंह	ग्राम दारानगर पो० कलान शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	
12.	तेजराम पुत्र श्री जयलाल	ग्राम कुतलुपुर पो० मिर्जापुर शाहजहाँपुर	कृषि	सा०सदस्य	
13.	डा० जयदयाल सिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह	श्री धर्मजीत सिंह महाविद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर	प्राचार्य	पदेन सदस्य	
14.	डा० सुधीर कुमार भारद्वाज श्री गंगाराम शर्मा	श्री धर्मजीत सिंह महाविद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर	प्रवक्ता	पदेन सदस्य	
15.	डा० अनुपम कुमार शर्मा श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा	श्री धर्मजीत सिंह महाविद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर	प्रवक्ता	पदेन सदस्य	

Chairman
[illegible] Education Samiti